न्यायालय द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या **79/2018**

1– रमेश चन्द्र ओझा व प्रकाश चन्द्र ओझा पुत्रगण हरिकृष्ण, रानी बाजार, बीकानेर
.....अपीलान्ट

बनाम

1–प्रथम अपील अधिकारी (SDM),राजस्थान लोक सेवाएं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, तहसील लाडनूं जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 9.8.2018 (अपील नं0 1/2018) प्रथम अपील अधिकारी, (SDO) लाडनूं जिला नागौर

निर्णय

दिनांकः.10.01.22

{1} –यह अपील राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारन्ट अधिनियम 2011 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं मु0सं0 66/2018 बअनुवान प्रकाश चन्द ओझा बनाम सरकार व प्रथम अपील अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लाडनूं) के मु0सं0 01/2018 बअनुवान प्रकाश चन्द्र ओझा बनाम तहसीलदार के विरूद्ध पेश की है।

अपीलकर्तागण ने प्रथम अपील अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लाडनूं) को दिनांक 06.07.2018 को भेजी थी जो दिनांक 10.07.2018 को प्रथम अपील अधिकारी को प्राप्त हुई। तहसीलदार लाडनूं को दिनांक 28.02.2018 को श्री प्रकाश चन्द्र ओझा पुत्र श्री हरिकृष्ण ओझा, रानी बाजार बीकानेर ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निवेदन किया है कि मेरे पिताजी स्व0 श्री हरिकृष्ण ओझा के नाम से एक खेत (कृषि भूमि) तादादी 21 बीघा आथूनी (पश्चिमी) कांकड़ ग्राम निम्बी जोधा में स्थित है। जिसकी मिल्कीयत और कब्जा मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी का दिनांक 9.12.17 को देहान्त हो गया है। जिसका मुत्यु प्रमाण पत्र सं0 92156 दिनांक 13.11.10 है। मेरे पिताजी स्व. श्री हरिकृष्ण ओझा ने अपनी पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.11.2010 जो कि उनकी अन्तिम वसीयत है (पंजीकृत संख्या 2010000579पृष्ठ संख्या 179 उप पंजीयक बीकानेर दिनांक 18.11.2010) के द्वारा उक्त भूमि निवेदक प्रकाशचन्द ओझा के पक्ष में निष्पादित की है। वसीयत की प्रतिलिपि संलग्न कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम आदेश करवाने का निवेदन किया। तहसीलदार लाडनूं द्वारा पत्रावली दिनांक 01.06.2018 को दर्ज रजिस्टर की गयी तथा उसी दिन पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर तथा आवेदक द्वारा ग्राम निम्बीजोधा में अपने पिताजी के नाम की खातेदारी भूमि का कोई सबूत यथा जमाबंदी, खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल का कोई हवाला नहीं दिया गया तथा न ही वसीयत पत्र में कृषि भूमि के खसरा नम्बर का हवाला दिया आदि का अंकन कर तहसीलदार लाडनूं ने आवेदक श्री प्रकाश चन्द्र ओझा का आवेदन पत्र खारीज कर दिया गया।

प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द्र ओझा ने तहसीलदार के निर्णय से व्यथित होकर उपखण्ड अधिकारी लाडनूं में अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत परिवाद जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाया गया, जो उपखण्ड अधिकारी लाडनूं ने प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 10.07.2018 को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लाडनूं को अपना पक्ष रखने बाबत नोटिस जारी किया। प्रथम अपील अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लाडनूं) ने प्रार्थी की सुनवाई कर दिनांक 9.8.2018 निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''पत्रावली में दोनों पक्षकारो के तर्को व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार लाडनूं की बहस से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारन्टी अधिनियमन 2011 की धारा 5(1) के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपेक्षित आवेदन कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की है एवम धारा 5(2) के अनुसार पदाभिहित अधिकारी को या तो सेवा प्रदान करनी होती है अथवा आवेदन नामजूंर करना होता है।

तहसीलदार लाडनूं ने वसीयत के नामान्तरण को एल.आर एक्ट 1956 की धारा 135 (2) में दर्ज कर प्रकरण संख्या 66/2018 दर्ज कर दिनांक 01.06.2018 को अपना निर्णय कर प्रार्थी के आवेदन को खारिज किया ।

पटवारी हल्का निम्बी जोधा ने नामान्तरण संख्या 4372 दिनांक 6.8.2018 विरासत का दर्ज किया जो खसरा नं0 300 से सम्बन्धित है। तहसीलदार लाडनूं ने अवगत कराया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं में वाद सं0 139/2013 विचाराधीन है। जिसमें खसरा नं0 1114 पर न्यायालय का स्थगन है।

प्रार्थी ने प्रथम अपील में राजस्थान लोक सेवा अधिनियम गारन्टी 2011 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया है को सिद्ध नहीं कर पाया है, साथ ही तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज कर उसे दिनांक 01.06.2018 को निर्णय कर प्रार्थी का आवेदन खारिज किया है। खसरा नम्बर 1114 पर स्थगन है तथा खसरा नम्बर 300 का नामान्तरण संख्या 4372 ग्राम निम्बी जोधा दर्ज किया जा चुका है। अतः प्रकरण में प्रार्थी नामान्तरण की अपील हेतु स्वतन्त्र है। प्रार्थी की अपील उक्तानुसार नामंजूर की जाती हैं।

उक्त प्रथम अपील के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 13.12.2018 को प्रस्तुत की गयी। यह द्वितीय अपील दिनांक 13.12.2018 को दर्ज रजिस्टर की गयी तथा पदाभिहित अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी से रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। तहसीलदार लाडनूं व उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली प्राप्त हुई ।

{2} – अपीलान्ट द्वारा पेश द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(1) –यह है कि आदेश संख्या 467 दिनांक 11.07.2018 को प्रथम अपील अधिकारी ने प्रथम अपील की छायाप्रति तहसीलदार को भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने और बिन्दुवार जवाब देने का आदेश दिया गया और जवाब की एक प्रति अपीलकर्तागण को भी सूचनार्थ भेजी गई, जिसमें सुनवाई की आगामी तारीख के लिए सूचना नहीं दी गई। चूंकि दिनांक 20.07.2018 को उपस्थित होने की कोई सूचना अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु दिनांक 20.07.2018 के पत्र में कोई सूचना नहीं होने से अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होना था। किन्तु नोट शीट दिनांक 20.07.2018 में अपीलार्थीगण को अनुपस्थिति होना दर्ज किया गया है। जबकि 20.07.2018 को बावजूद न्यायालय के आदेशो के तहसीलदार न तो स्वयं उपस्थित हुआ न ही जवाब दिया।

{2}(2) – यह कि प्रथम अपील अधिकारी का पत्र नं0 485 दिनांक 24.07.2018 जो कि तहसीलदार को लिखा गया था कि आगामी पेशी दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें और उपस्थित न होने पर एक पक्षीय निपटारा कर दिया जावेगा।

{2}(3) –यह कि अपीलकर्तागण प्रकाश चन्द ओझा एवं रमेश चन्द्र ओझा दोनों भाई है। उनके भुवाजी के लड़के भाई रामेश्वर तिवाड़ी का देहांत 26.07.2018 को होने से और दिनांक 06.08.2018 को उसका 12 वां होने से दिनांक 31.07.2018 को अपीलार्थी रमेश चन्द्र ओझा ने अपने निवेदन किया कि भाई रामेश्वर तिवाड़ी का 12 वां दिनांक 06.8.2018 होने से वे तारीख पेशी दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित होने में असमर्थ हैं तब प्रथम अपील अधिकारी ने अपने मोबाईल से कहा कि उनके सहायक कैलाश शर्मा से इस विषय पर बात करें और तारीख पेशी 09.08.2018 रखवा लें। कैलाश शर्मा से रमेश चन्द्र ओझा ने मोबाईल से तारीख पेशी 9.8.2018 को देने का निवेदन किया, जो उन्होने कहा की ठीक है। किन्तु नोट शीट दिनांक 6. 8.2018 में आवेदक की अनुपस्थिति लिखी गई है जबकि कैलाश शर्मा ने कन्फर्म किया था कि तारीख पेशी 6.8.2018 को 9.8.2018 तक **Adjourn** कर दी गयी है।

जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(4) – यह है कि प्रथम अपील अधिकारी का ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है अतः निर्णय अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(5) – यह है कि प्रथम अपील अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9.8.2018 में बताया कि प्रार्थी ने तहसीलदार लाडनूं के समक्ष राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत जो आवेदन पेश किया था, वो निर्धारित प्रारूप में है सिद्ध नहीं कर पाया है जबकी ऐसा कोई भी एतराज तहसीलदार द्वारा न तो मौखिक या लिखित रूप में कहीं भी नहीं किया गया है। सही या गलत का एतराज करने का तहसीलदार को अधिकार था। अतः प्रथम अपील अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अपास्त किया जाने योग्य है।

{2}(6)– यह है कि अपीलार्थीगण ने तहसीलदार लाडनूं को एक आवेदन दिनांक 28.02.2018 को पेश किया कि स्व. हरिकृष्ण ओझा एवं स्व. मदन लाल ओझा दोनों भाई थे और खसरा नं0 1114 रकबा 01 बीघा गांव निम्बी जोधान संयुक्त खातेदारी का है। स्व हरिकृष्ण ओझा ने अपने हिस्से को रमेश चन्द्र ओझा एवं प्रकाश चन्द्र ओझा को पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.11.2010 के द्वारा दे दिया था। दिनांक 28.2.2018 को तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से एक सम्मिलित आवेदन पेश कर रमेश चन्द्र ओझा व प्रकाश चन्द्र ओझा ने अपने नाम से खेत खसरा नं0 1114 रकबा 01 बीधा तथा खसरा नं0 300 रकबा 21बीधा 4 बिस्वा का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए किया था। उसी दिन ही तहसीलदार ने पत्र कमांक भूअ/18/2014 दिनांक 28.02.2018 पटवारी हल्का निम्बी जोधा को आदेश दिया कि पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें। पटवारी ईन्दु बाला ने दिनांक 22.3.2018 को यह लिखकर उक्त पत्र तहसीलदार को वापिस भेज दिया कि मामला वसीयत से संबंधित है अतः विधिवत सुनवाई किया जाकर नामान्तरण दर्ज करना उचित होगा, और तहसीलदार ने उसी दिन आदेश दिया कि पत्रावली दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। परन्तु तहसीलदार के आदेश के खिलाफ न तो प्रकरण दर्ज हुआ और न ही पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

से अपीलार्थीगण दिनांक 31.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान ग्राम निम्बी जोधान कैम्प में भी मिले तो भी उसने कहा कि प्रसंग अभी उसके समक्ष नहीं आया है। अतः दिनांक 02.06.2018 को तहसीलदार के नाम रमेशचन्द्र ओझा ने एक प्रतिवेदन भेजा कि इस पत्र दिनांक 02.06.2018 के मिलने के 7 दिनो में राजस्व जमीनों खसरा नं0 1114 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नं0 300 करबा 21बीघा 4 बिस्वा ग्राम निम्बी जोधान तहसील लाडनूं का नामान्तरण स्व. हरिकृष्ण ओझा की पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.11.2010 के अनुसार दर्ज किया जावे अन्यथा बाध्य होकर आपके खिलाफ राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने का बाध्य होना पड़ेगा और जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होगें। यह पत्र दिनांक 02.06.2018 को तहसीलदार को प्राप्त हो गया था।

{2}(7) – यह है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 01.06.2018 के विरोधाभासी उसका व्यवहार तब सामने आया कि जब उसने पत्र क्रमांक भूअ/18/4049दिनांक 19.06.2018 के द्वारा हल्का पटवारी को सोमोटो आदेश देकर नामान्तरण के लिए स्व. हरिकृष्ण ओझा के खातेदारी भूमियों की सूचना पटवारी से एकत्रित करने को लिखा। पटवारी ने खसरा नं0 300 एवं 1114 की सूचनाएं सजरा सहित दिनांक 29.06.2018 को तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट में सौप दी और तहसीलदार ने पुनः पत्र क्रमांकः भूअ/18/6122 दिनांक 14.07.2018 के द्वारा पटवारी को सजरा के अनुसार नामांन्तरण दर्ज करने का स्थापित कानून विरूद्ध आदेश दे दिया। और पटवारी ने उक्त पत्र के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 4372 दिनांक 06.08.2018 को दर्ज कर दिया । किन्तु पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.11.2010 को तहसीलदार तथा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा कन्सीडर नही किया गया । नामान्तरण बाबत आवेदन रमेश चन्द्र ओझा एवं प्रकाश चन्द्र ओझा the legatees of Will deed dated 18.11.2010, द्वारा पेश किया गया किन्तु आवेदन दिनांक 28.02.2018 की deficiency बाबत या कमी पूर्ती कराने बाबत कोई सूचना/नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। जबकि आवेदन दिनांक 28.02.2018 के साथ स्व. हरिकृष्ण ओझा के मृत्यु प्रमाण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पत्र, पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.11.2010 की प्रतियां स्वंय द्वारा प्रमाणित और जमाबन्दी संवत 2069–72 की सत्यप्रति संलग्न कर दी गई थी।

{2}(8) – यह कि अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लाडनूं में अन्दर मियाद प्रस्तुत करने के उपरान्त भी तहसीलदार लाडनूं वांछित सेवा गारंटी अवधि में निर्णय करने में देरी की है जो शास्ति अदा करने का उतरदायी है। अतः अपीलान्ट ने अपनी अपील में मांग की है कि तहसीलदार लाडनूं ने निर्णय में देरी की है अतः तहसीलदार से शास्ति आरोपित कर वसूली की जावें।

{2}(9) –यह है कि अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि प्रथम अपील अधिकारी भी नियत अवधि में अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है। अतः अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी पर अधिकतम शास्ति आरोपित की जावे तथा वसूली की जावे।

{2}(10)–अपीलार्थीगण रमेश चन्द्र ओझा एवं प्रकाश चन्द्र ओझा पुत्रगण स्व. हरिकृष्ण ओझा के नाम वादग्रस्त खेत खसरा नं0 300 रकबा 21.4 बिस्वा एवं खसरा नं0 1114 रकबा 1 बीघा सरहद निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर नामान्तरण पंजीकृत वसीयतानुसार दर्ज किया जावे। सुरेश ओझा, रामेश्वरी देवी पत्नी स्वी. हरिकृष्ण ओझा श्रीमती कृष्णा ओझा, कौशल ओझा कुमारी चित्रा ओझा वारिसान स्व. महेश कुमार ओझा निवासीगण रानी बाजार बीकानेर के नाम फर्द इन्तकाल से हटाया जावे तथा खर्च मुकदमा दिलाया जावे।

{3} – वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर तहसीलदार लाडनूं एवं प्रथम अपील अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लाडनूं) पर शास्ति एवं ग्राम निम्बी जोधा के ख0नं0 300 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नं0 1114 रकबा 1 बीघा का नामान्तरण वसीयत अनुसार दर्ज करने हेतु निवेदन किया एवं सुरेश ओझा, रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. हरिकृष्ण ओझा श्री मती कृष्णा ओझा, कौशल ओझा कुमारी चित्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

ओझा वारिसान स्व0 महेश कुमार ओझा निवासीगण रानी बाजार बीकानेर के नाम फर्द इन्तकाल से हटाया जावे।

{4} – पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। द्वितीय अपील में अपीलान्ट द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है :–

(a) तहसीलदार लाडनूं वांछित सेवा गारन्टी अवधि में प्रदान करने में विफल रहा है और अनावश्यक विलम्ब भी किया है जो शास्ति अदा करने का उत्तरदायी है। अतः निवेदन है कि designated officer पर अधिकतम शास्ति आरोपित कर वसूली जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार लाडनूं की पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.02.2018 को श्री प्रकाश चन्द्र ओझा द्वारा "ग्राम निम्बी जोधा में स्थित रेवेन्यू भूमि का आवेदक के नाम से नामान्तरण हेतु एक साधारण प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा 28.02.2018 को मार्किंग की गयी है। कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) लाडनूं द्वारा पत्रांक :भू0अ0/18/2014 दिनांक 28.02.2018 द्वारा पटवारी हल्का निम्बी जोधा को पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है। दिनांक 22.03.2018 को पटवारी हल्का निम्बी जोधा (प्रशिक्षु पटवारी) द्वारा यह अंकन किया गया है कि मूल ही लौटाकर निवेदन है कि मामला वसीयत से सम्बन्धित है। अतः श्रीमान द्वारा पटवार बैठक में दिये गए निर्देशानुसार वसीयत का नामान्तरण दर्ज करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई किया जाकर दर्ज करना उचित है। अग्रिम कार्य हेतु श्रीमान की सेवा में समर्पित है। इसी दिनांक 22.03.2018 को तहसीलदार द्वारा इसी पत्र पर पत्रावली दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो " का अंकन किया गया है। तहसीलदार लाडनूं द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रकरण सं0 66/2018 दिनांक 01.06.2018 को ही दर्ज कर प्रकरण का निर्णय किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण द्वितीय अपील लोक सेवाओं के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत है, अतः तहसीलदार लाडनूं द्वारा 01.06. 2018 को पारित निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। श्री प्रकाश चन्द्र ओझा द्वारा तहसीलदार लाडनूं के समक्ष दिनांक 28.2.2018 को पेश प्रार्थना पत्र एक साधारण प्रार्थना पत्र है एवं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 एवं इसके तहत बने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी नियम 2011 के तहत पेश करने का कहीं भी अंकन नहीं है। तहसीलदार की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार श्री रमेश चन्द ओझा द्वारा 02.06.2018 स्पीड पोस्ट से भेजा गया पत्र जो तहसीलदार लाडनूं द्वारा 05.06.2018 को मार्क किया है में सन्दर्भ लिखा गया है कि ''(i) मेरा आवेदन दिनांक 28.2.2018 (ii) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी, 2011''। इस पत्र को श्री रमेश चन्द्र ओझा ने तहसीलदार को प्रेषित किया है जबकि दिनांक 28.2.2018 को जो साधारण पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया था वह प्रकाश चन्द्र ओझा द्वारा प्रेषित किया गया था। राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की धारा 5 में अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन एवम उसकी अभिस्वीकृति देने का प्रावधान किया है। इस प्रकार श्री प्रकाश चन्द ओझा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.02.2018 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की धारा 5 एवम राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी नियम 2011 के नियम 4 अनुसार पेश नहीं कर उसकी अभिस्वीकृति नहीं ली गयी थी, क्योकि अभिस्वीकृति प्राप्त करने पर आवेदक को सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम समय सीमा का उल्लेख किया जाता है एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश किए हैं या नहीं उसका भी उल्लेख किया जाता है।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की धारा 5 निम्नांनुसार हैः–

5. नियत समय–सीमा में कोई सेवा प्रदान कराना–(1) नियत समय–सीमा, अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या आवेदन प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रस्तुत कराने की तारीख से प्रारम्भ होगी। ऐसे किसी आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हाने पर नियत समय–सीमा के भीतर–भीतर या तो उक्त सेवा प्रदान करेगा या आवेदन को नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी नियम 2011 के नियम 3 व 4 निम्नानुसार है :–

नियम 3:–आवेदन प्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राधिकरण–पदाभिहित अधिकारी, आदेश द्वारा, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उसकी अभिस्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

नियम 4:–आवेदक की अभिस्वीकृति जारी करना–नियम 3 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति आवेदक को प्ररूप–1 में अभिस्वीकृति देगा और यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है तो अभिस्वीकृति में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा और ऐसी अभिस्वीकृति में नियत समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा:

परन्तु यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है तो अभिस्वीकृति में नियम समय सीमा की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जायेगा।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार लाडनूं के समक्ष विधिवत आवेदन नहीं करने से पदाभिहित अधिकारी पर शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं होने से यह बिन्दू अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(b) प्रथम अपील अधिकारी अपील का निस्तारण नियम अवधि में करने में विफल रहा हैं प्रथम अपील अधिकारी समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है। अतः अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अपील अधिकारी पर अधिकतम शास्ति आरोपित की जावे।

प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के समक्ष पंजीकृत डाक द्वारा श्री प्रकाशचन्द औझा द्वारा प्रेषित अपील दिनांक 10.7.2018 को प्राप्त होने से 10.7.2018 को दर्ज कर दिनांक 9.8.2018 को निर्णय किया गया है। प्रथम अपील का निर्णय/विनिश्चय राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत जारी अधिसूचना संख्या प.13(1) प्र.सु.एवं सं./ग्रुप–1/2008 दिनांक 20.10.20, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–4 (ग) (ii) दिनांक 20.10.2011 में प्रकाशित अनुसार ''राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम अपील के निपटान के लिए नियत समय सीमा अपील फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन, इसके लिए अधिसूचित करता है। इस प्रकार प्रथम अपील के निर्णय हेतु नियम समय सीमा 21 दिन है इसमें राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारन्टी नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिन की गणना नहीं की जायेगी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2018 को अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08. 2018 को कर दिया गया था । प्रस्तुत अपील एवं निर्णय दिनांक में समयावधि का अन्तराल लगभग 30 दिवस है जिनमें राजकीय अवकाश के दिवस भी सम्मिलित हैं जिनकी संगणना उपर्युक्त नियमानुसार सेवा उपलब्ध कराने के नियत समय सीमा में नहीं होती हैं। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील मे निर्णय पारित करने में कोई विशेष/अधिक/बहुधा/अपर्याप्त विलम्ब नहीं किया है तथा इस प्रकार के नगण्य विलम्ब से सेवा प्रदान करने की प्रकृति में भी कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। अतः हम बाद इस विवेचन पाते हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पारित करने में कोई विशेष विलम्ब नही किया है जिससे प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ति आरोपित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध पेश किया जाता है।

(c) अपीलार्थीगण रमेश चन्द्र ओझा एवं प्रकाश चन्द्र ओझा पुत्रगण स्व. हरिकृष्ण ओझा (Ligatees) के नाम वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 300 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1114 करबा 1 बीघा सरहद निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर का नामान्तरण पंजीकृत वसीयतानुसार दर्ज किया जावे। सुरेश ओझा, रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. हरिकृष्ण ओझा श्रीमती कृष्णा ओझा, कोशल ओझा, कुमारी चित्रा ओझा वारिसान स्व. महेशकुमार ओझा निवासीगण रानी बाजार बीकानेर का नाम फर्द इन्तकाल से हटाया जावे।

हस्तगत प्रकरण लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत होकर निर्णित किया जाना है। इसके अन्तर्गत केवल यही देखा जाना है कि नियत/निर्धारित अवधि में सेवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है या नहीं तथा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा किस प्रकार तथा निर्धारित अवधि में अपील का निस्तारण किया गया है या नहीं ? इस बिन्दु में अपीलार्थीगण ने पंजीकृत वसीयतानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर स्व. श्री महेश कुमार के वारिसान के नाम हटवाने हेतु निवेदन किया है जो अनुतोष इस प्रकरण में नहीं दिया जा सकता है। तहसीलदार लाडनूं द्वारा श्री प्रकाश चन्द ओझा द्वारा दिनांक 28.02.2018 को पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज कर 01.06.2018 को उसका निर्णय पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः इस आदेश की अपील तथा जैसा पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 4372 दिनांक 06.8.2018 भरा गया है की अपील सक्षम न्यायालय में पेश कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह बिन्दु अपीलान्ट के विरूद्ध पेश किया जाता है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पेश द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है। खर्चा अपीलान्ट अपना वहन करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

उपर्युक्त विवेचन अनुसार द्वितीय अपील अपीलार्थीगण खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थीगण, प्रथम अपील अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
द्वितीय अपील अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
द्वितीय अपील अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)